FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

लत...मुकाम...

अरथाराम व अन्य मुकाम..............बनाम.............ओमाराम वगैरह

नस्ल मुकदमा......राजस्व अपील............नं. 23............सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस तामील कदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कामों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/03/2020 को पेश हो।	
11/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस आगामी दिनांक 30/03/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:21:24 IST
Reason: SelfAttested

30/03/2020 पत्रावली आज पेश हुई, कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जिनेट शर्मा के अवकाश होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/06/2020 को पेश हो। सेवामें

10/06/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेवा लेव आये हुए हैं प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी माडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ों का सही ज्ञान करने के लिए अपने खातेदारी खेत की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अंकल शुमार हो दर्ज नम्बरान से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:21:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 376

दिनांकः– 10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –23 / 2020

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री खरथाराम पुत्र उदाराम के कायम मुकाम, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री गंगाराम पुत्र उदाराम वगैरा 13, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 858 / 722, 863 / 727 रकबा क्रमशः 1.8688, 0.9384 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 /

दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम पुत्र उदाराम के कायम मुकाम ।
4. विप्रार्थीगण श्री गंगाराम पुत्र उदाराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:21:24 IST
Reason: SelfAttested